Spl. Sec.
O. S. D. (K)

कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0. एल0ए0 / एस0एस0 –1 / श0स्था0नि0 / 14475 / 2199 **दिनांक:–** 30.01.15

सेवा में,

सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार सरकार, पटना

महाशय,

नगर पंचायत, टेकारी के वर्ष 2011–12 से 13–14 के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 808 / 14–15 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखा परीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय
सामाजिक प्रक्षेत्र–I
बिहार, पटना

सचिव कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग
पत्र पंजी
09 FEB 2015
संख्या 1253
बिहार, पटना

(119)

नगर पंचायत टेकारी
निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या–808/14–15
(अवधि–2011–12 से 2013–14)

भाग– I

1. निरीक्षित कार्यालय का नाम :– नगर पंचायत टिकारी
2. लेखा की अवधि :– 2011-12, 2012-13 व 2013–14
3. लेखापरीक्षा का उद्देश्य :– अंकेक्षण में प्रस्तुत व जांच किया गया पंजी व अभिलेख की सूची परिशिष्ट–I में एवं अप्रस्तुत व प्रस्तुत अभिलेख जिसकी जांच नहीं की गई की सूची परिशिष्ट–II पर दी गई है।
4. लेखापरीक्षा की अवधि :– 24.09.14 से 30.09.14
5. प्रशासन :–

1) मुख्य पार्षद का नाम	**अवधि**
क) श्री संजय कु0 जैन	18.08.2009 से 08.06.2012 तक
ख) श्री मुरली मनोहर प्र0	09.06.2012 से 31.03.2014 तक

2) उपमुख्य पार्षद का नाम	**अवधि**
क) मो0 सज्जाद हुसैन	18.08.2009 से 18.07.2011 तक
ख) मो0 इसलाम	19.07.2011 से 08.06.2012 तक
ग) श्री उपेन्द्र कु0	09.06.2012 से 31.03.2014 तक

3) नगर कार्यपालक पदाधिकारी	**अवधि**
क) श्री अजय कु0 सिंह	17.09.2010 से 17.02.2014 तक
ख) श्री अनिश अख्तर	18.02.2014 से 31.03.2014 तक

6 **लेखापरीक्षा दल के सदस्य**

1. श्री नीरज कु0 सिंह (ले0प0)
2. श्री संगम तिवारी (ले0प0)
3. श्री रंजीत कुमार (स0ले0प0अ0)
4. श्री राजेश कुमार–III (स0ले0प0अ0)

118

7 **पर्यवेक्षक अधिकारी का नाम–** ....

8 **पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा के प्रतिवेदन का अनुपालनः– अप्रस्तुत**
अंकेक्षण टिप्पणीः– नगर पंचायत टिकारी की लेखा का संधारण संतोषप्रद नही था। इसमें काफी सुधार की आवश्यकता है। अनुदान तथा अनुदान विनियोग पंजी, अग्रिम पंजी इत्यादि का संधारण नहीं किया गया था। मॉग एवं बकाया पंजी इत्यादि का भी संधारण नहीं किया गया था। दुकान किराया, गृह तथा वृति कर की वसुली हेत अपेक्षित प्रयास किए जाए। नगर पंचायत टिकारी प्रशासन से आग्रह है कि इसके संधारण के प्रयास किए जाए । वसूली राशि को ससमय जमा नही किया जा रहा था। अवरोधित राशि का उपयोग नही किया जा रहा था। नगर परिषद प्रशासन की लेखा संधारण को अधिक पारदर्शी तथा सुधारात्मक बनाने हेतु विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

9. **कार्यपालक से वार्त्तालाप की गई** :– हाँ (30.09.14)
10 **लेखापरीक्षा का परिणाम**

अंकेक्षण के दौरान वसूली गई राशि–₹580.00
वसूली हेतु सुझाई गई राशि– ₹ 1890583.00
आपत्ति के अधीन रखी गई राशि– ₹ 103565..00
विस्तृत विवरणी विवरण सं0–1 पर है।

11 **बजट**

बिहार नगर पालिका का अधिनियम – 2007 की धारा –84 के भाग (i) के अनुसार नगर निकाय को तैयार किए गए बजट प्राक्कलन मार्च माह के 15 तारीख तक सरकार को भेजना है। स्वीकृत किए जाएँगे एवं संशोधन अथवा बिना संशोधन के राज्य सरकार द्वारा मार्च 31 के पहले निकाय को भेजे जाएँगे।

लेखापरीक्षा में उपलब्ध बजट संचिका की नमूना जॉच में पाया गया कि संचिका में 2011–12 एवं 2012–13 की बजट प्रति उपलब्ध थी परंतु 2013–14 की प्रति उपलब्ध नहीं थी।

लेखापरीक्षा टिप्पणी

1. संचिका के अनुसार 2011–12 का बजट 25.03.14 को भेजा गया था।
2. 2012–13 के बजट सरकार को भेजे जाने की प्रति संचिका में उपलब्ध नहीं पायी गयी थी।
3. 2013–14के बजट संचिका में नही पाया गया था।
4. संचिका में बजट की प्रति व्यवस्थित नहीं थी।
5. क्या सरकार द्वारा स्वीकृत बजट निकाय को वापस भेजा गया है।

आपत्ति के जवाब में यह बताया गया कि

भविष्य में बजट को ससमय तैयार किया जायेगा। वर्ष 2013–14 की बजट की प्रति उपलब्ध कर अगले अंकेक्षण को दिखाया जायेगा।
उत्तर के आलोक में भविष्य में अग्रेतर कार्रवाई की जाये।

12.टिप्पणी

वित्तीय विवरण और बैलेंश शिट :– इसे तैयार नहीं किया गया था ।

13. आय–व्यय

लेखापरीक्षा में सहायक रोकड.बही एवं सामान्य रोकड़बही उपलब्ध कराये गयें थे जिसके अनुसार आय–व्यय तैयार किया गया है।

विवरणी सं0–II संलग्न

अंकेक्षण टिप्पणी

मदवार पास बुक नहीं बनाया गया था।

कुल तीन बैंक में ही सभी मदों को रखा गया था जिससे प्रत्येक मद का अन्तशेष को स्पष्ट नही किया जा सका।

लेखापाल रोकडबही संधारित नहीं था परन्तु सामान्य रोकडबही संधारित किया गया था। जिसमें सभी मद की राशि संधारित किया गया था। परन्तु आय–व्यय का वर्गीकरण स्पष्ट था।

राशन कार्ड मद में 2011–12 से 2013–14 सहायक रोकड़ बही के अनुसार कोई आय–व्यय नहीं किया गया था। सिर्फ राशि 1756.56 रू0 31.03.14 तक अन्तशेष था।

आपत्ति के जवाब में यह बताया गया कि मदवार खाता खोलकर राशि को संधारित किया जायेगा। राशन कार्ड मद में दिशा निर्देश मिलने पर राशि का व्यय किया जायेगा।

अतः इसका समाधान कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

\116

भाग---।। क

शून्य

भाग---।। ख

कंडिका सं:-1

विविध एवं स्टॉल किराया की प्रविष्टि रोकड़बही में नहीं राशि 4.07 लाख

नगर पंचायत, टिकारी के रोकड़पाल की रोकड़बही एवं विविध तथा स्टॉल पंजी के मिलान के क्रम में (वर्ष 2011-12 से वर्ष 2013-14) यह पाया गया कि दिनांक 30.03.13 की एवं 13.08.13 से 09.08.14 की विग्धि एवं स्टॉल की राशि जो कि वसूली जा चुकी है, उसकी प्रविष्टि रोकड़पाल विवरण निम्न है:-

क0सं0	विविध राशि	स्टॉल किराया	कुल	दिनांक
01	14531	5650	20181	30.03.13
02	24518	10150	34668	13.08.13
03	23615	5000	28615	06.09.13
04	29915	25800	55715	29.11.13
05	52941	6150	59091	22.01.14
06	34447	8250	42697	24.02.14
07	20806	10000	30806	29.03.14
08	1164	3000	4164	04.04.14
09	11705	1900	13605	12.04.14
10	2878	-	2878	21.04.14
11	15175	-	15175	29.04.14
12	1016	12000	13016	06.05.14
13	9018	9700	18718	19.05.14
14	2235	3000	5235	22.05.14
15	7083	18530	25613	03.07.14
16	24891	11800	36691	09.08.14
			406868	

115

अंकेक्षण आपत्तिः–

(क) उपरोक्त राशि रु 406868 की प्रविष्टि रोकड़पाल के रोकड़बही में नहीं पाई गयी थी।

आपत्ति के जवाब में यह बताया गया कि राशि रोकड़ बही में प्रविष्ट कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जायेगा।

राशि रोकड़बही में प्रविष्टि कर पंचायत निधि में जमा का साक्ष्य लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराया जाय।

कंडिका सं0ः–2

संपत्ति कर (होल्डिंग कर) की बकाया राशि की वसूली नहीं रु 3.90 लाख

होल्डिंग कर से संबंधित मॉग तथा तथा वसूली पंजी लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया था, परंतु होल्डिंग कर बकाया से संबंधित विवरणी लेखापरीक्षा में उपलब्ध कराया गया था जिसके अनुसार रु 3.90 लाख होल्डिंग कर वसूली के रुप में 31.03.14 तक बकाया था, विवरण निम्नलिखित हैः–

कुल होल्डिंग सं0	3708
कुल मॉग	507902
कुल वसूली	117862
कुल बकाया	390040

लेखापरीक्षा अभियुक्ति

उपरोक्त होल्डिंग कर के बकाया राशि की वसूली के संबंध में नगर पंचायत द्वारा कार्रवाई की गयी हैं। आपत्ति के जवाब में यह बताया गया कि होल्डिंग टैक्स बकायादारों को नोटिस किया गया है। टैक्स वसूली हेतु आगे भी नोटिस की जायेगी तथा वसूली की जायेगी।

अतः राशि रू0 390040 की वसूली कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

\114

कंडिका:—3

एस0जे0एस0आर0वाई0

लेखापरीक्षा में उपलब्ध एस0जे0एस0आर0वाई0 संचिका के नमूना जॉच में पाया गया कि संचिका के ज्ञापांक – 247 दिनांक – 04.06.10 को डाटसाफ्ट कम्प्यूटर सेंटर संस्थान, लोक नौबतपुर पटना एवं संचिका ज्ञापांक – 316 दिनांक – 03.10.12 को जनहित सांस्कृतिक कला केन्द्र को प्रशिक्षण देने का आदेश दिया गया था, प्रशिक्षण के उपरांत दोनों संस्था का निम्न विवरण के अनुसार भुगतान किया गया था :–

क0सं0	संस्था का नाम	चेक सं0	भुगतान की गई राशि
1	डाटा साफ्ट कम्प्यूटर संस्थाना	733960/10.06.10	200000.00
2	डाटा साफ्ट कम्प्यूटर संस्थाना	188604/30.07.12	184123.00
3	जनहित सांस्कृतिक कला केन्द्र	522046/13.09.13	464128.00
4	जनहित सांस्कृतिक कला केन्द्र	188615/22.12.12	187400.00
		कुल राशि रू.1035651.00	

लेखापरीक्षा अभियुक्ति

1. प्रशिक्षण में प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण की सामग्री, टूल/किट्स आदि का वितरण करना था, क्या संस्था द्वारा प्रशिक्षणार्थी को वितरण किया गया। इसका विवरण प्रति नहीं पाया गया।
2. सरकार के पत्रांक –2 स्वर्ण –02/11/927 के अनुसार प्रशिक्षण देनेवाली संस्था को प्रशिक्षण के उपरांत 30प्रतिशत प्रशिक्षणार्थी को रोजगार उपलब्ध कराना था वर्तमान में कितने प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। इसकी उपलब्धता नहीं पाई गई।

आपत्ति के जवाब में यह बताया गया कि संस्था द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को सामग्री दिये जाने एवं 30 प्रतिशत रोजगार उपलब्ध किये जाने के संदर्भ में उन्हे नोटिस किया जायेगा।

अतः उपर्युक्त आपत्ति स्पष्टीकरण दिए जाने तक राशि रू0 1035651.00 आपति के अधीन रखी जाती है।

कंडिका सं–4

शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेस की राशि जमा नहीं रु 2.83 लाख

शहरी स्थानीय निकायों को संपत्ति कर (होल्डिंग टैक्स) के 50 प्रतिशत की दर से शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर वसूली के लिए प्राधिकृत किया गया है।

नगर पंचायत द्वारा वर्ष 2011–12 से 2013–14 के दौरान शिक्षा एवं स्वास्थ्य के रुप में वसूली गई राशि राज्य सरकार के आदेशानुसार नगर निकाय के वसूल किए गए राजस्व में से 10प्रतिशत वसूली प्रभार घटाकर शेष राशि सरकारी खाता में जमा करना था, परंतु इसे जमा नहीं किया गया उक्त मदों में सरकारी खाते में जमा नहीं की गई राशि का विवरण निम्न है:–

वर्ष (2011–12 से 2013–14)	शिक्षा उपकरण की राशि	स्वास्थ्य उपकरण की राशि
कुल राजस्व घटाव वसूली प्रभार 10 प्रतिशत सरकारी खाता में जमावही राशि	157872.00 (-)15787 142085	157351.00 (-)15735 141616
कुल राशि रु283701		

नगर पंचायत द्वारा उपर्युक्त राशि संबंधित निधि में जमा नहीं कर उसका उपयोग अन्य व्यय पर किया गया था।

आपत्ति के जवाब में ये बताया गया कि स्वास्थ्य सेस एवं शिक्षा सेस संबंधी टैक्स जमा कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जायेगा।

कंडिका सं0–5

कम जमा/नहीं जमा

नगर पंचायत टेकारी के लेखाओं के लेखापरीक्षा के अन्तर्गत लेखापरीक्षा में उपलब्ध करये गये विविध रसीद पंजी एवं रोकड़पाल रोकड़बही के नमूना जॉच के क्रम में विविध रसीद सं0– 1924 राशि रु 580.00 रोकड़बही में जमा नहीं पाया गया।

आपत्ति के जवाब में यह बताया गया कि आपत्ति के अंतर्गत दी गई राशि जमा करा दिया गया है।

कंडिका सं0–6

विविध रसीद की राशि जमा नहीं, रु 500

नगर पंचायत टिकारी के वर्ष 2011–12 से वर्ष 2013–14 के अवधि के विविध रसीद, संग्रहण पंजी एवं रोकड़पाल रोकड़वही के मिलान के क्रम में यह पाया गया कि रसीद सं0 1338 की राशि की प्रविष्टि संग्रहण पंजी में नही थी एवं रोकड़बही में भी यह राशि जमा नहीं पाई गई। विवरण निम्न है:–

112

वसूलीकर्त्ता	श्री नारायण सिंह
रसीद सं0	1338
विवरण सं0	विविध (पानी टंकी का किराया)
राशि	रु500.00
दिनांक	19.03.2012

आपत्ति के जवाब में यह बताया गया कि उपरोक्त राशि की वसूली हेतु सूचना देकर वसूली की जायेगी तथा अगले अंकेक्षण में दिखाया जायेगा।
अतः राशि रू0 500 की वसूली कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

कंडिका सं0– 7

सेवा कर की वसूली नहीं, राशि रु 36,274,.00

वित्तीय नियम 1994 की धारा 68 एवं सेवाकर नियम 1994 के नियम 06 के अनुसार दुकानदार से किराया (दुकान) के साथ सर्विस कर 10.3 प्रतिशत के दर से वसूली का प्रावधान है।

लेखापरीक्षा में वर्ष 2011–12 से 2013–14 के अवधि के मार्केट–शाखा विवरणी के अनुसार कुल राशि रु 352175.00 की वसूली दुकान किराया के रुप में की गई।

अतः वसूली राशि रु 352175 पर 10.30 प्रतिशत के दर से सर्विस कर की कुल राशि रु 36274.00 वसूली नहीं गई।

अतः राशि रु 36274.00 को वसूलकर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए।

कंडिका सं0--8

दुकान किराया की बकाया राशि रु 458075

लेखापरीक्षा में प्रस्तुत वर्ष 2011–12 से वर्ष 2013–14 की अवधि के मार्केट–शाखा विवरणी के अनुसार 30.03.2014 को कुल राशि रु458075 की वसूली दुकान किराया के रुप में अभी बाकी थी।

अतः राशि रु 458075 की वसूली कर संबंधित शीर्ष में जमा कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए।

आपत्ति के जवाब में यह बताया गया कि

(1) दुकानदारो को बकाया राशि वसूली हेतु नोटिस किया जायेगा तथा बकाया राशि वसूल कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जायेगा।

(2) इस संदर्भ में पूर्व से कोई आदेश प्राप्त नहीं था। अंकित नियमावली के अनुसार वसूली की कार्रवाई की जायेगी तथा अगले अंकेक्षण में दिखाया जायेगा।
अतः राशि रु0 458075 को वसूलकर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए।

कंडिका सं0—9

सोलर लाईट के कय के भुगतान वैट एवं टी0डी0एस0 की कटौती नहीं

सोलर लाइट के अभिलेखों के अवलोकन से मामला प्रकाश में आया कि सोलर लाइट का कय स्टाम्प डयूटी के मद से किया गया। वित्तीय वर्ष 2011—12 से 2013—14 तक जैन ऑटोमोबाईल गया एवं दुदवा पावर इण्डस्ट्रिज गया से किया गया। नगर पंचायत कार्यालय द्वारा वैट एवं टी0डी0एस0 बिना काटे भुगतान कर दिया गया। विक्रेता द्वारा भी वैट एवं टी0डी0एस0 को संबंधित विभाग को चालान द्वारा जमा किया गया या नहीं साक्ष्य अभिलेख में उपलब्ध नहीं था।

सोलर लाईट के भुगतान से संबंधित सूचनाएँ विवरणी सं0 3 मे संलग्न है।

वित्तीय वर्ष 2012—13 के बजट में स्पष्ट प्रावधान है कि टी0डी0एस0 (194 सी0 1 के तहत) 30000 रू0 से अधिक अचल सम्पति के खरीद पर कय की राशिं पर 2 प्रतिशत की दर से कटौती की जानी चाहिए। टी0डी0एस0 को संबंधित विभाग में चालान द्वारा विलम्ब से जमा करने पर विक्रेता को भुगतान की प्राप्ति की तिथि से सात दिन के भीतर संबंधित विभाग में जमा करना था अन्यथा 1.5 प्रतिशत/माह की दर से शास्ति और अधिकतम टी0डी0एस0 के मूल्य के बराबर शास्ति करने का प्रावधान है। कटौती की गई टी0डी0एस0 कर का अनुसूचित समय से जमा नही करने पर संबंधित विभाग (नगर परिषद) पर 12 प्रतिशत/वर्ष की दर से शास्ति करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण टिप्पणी

नगर परिषद कार्यालय द्वारा अबतक कुल 77224/—रू0 टी0डी0एस0 एवं कुल 193059 /—रू0 वैट के साथ बिल का भुगतान विक्रेता को किया गया। विक्रेता द्वारा वैट एवं टी0डी0एस0 को संबंधित विभाग को चालान द्वारा जमा किया गया है /उसका प्रमाणपत्र है तो उसको अंकेक्षण में उपलब्ध कराया जाय।

- सोलर लाईट से संबंधित सभी प्रकार के वारंटी कार्ड को अंकेक्षण में उपलब्ध कराया जाय।
- सोलर लाईट के अधिष्ठापन कार्य को समिति द्वारा सत्यापित दस्तावेज को अंकेक्षण में उपलब्ध कराया जाय।
- सभी सोलर लाईट की प्रविष्टि के जॉच हेतु भंडार पंजी को अंकेक्षण में उपलब्ध कराया जाय।

आपत्ति के जवाब में यह बताया गया कि भंडार पंजी में संधारण कर लिया जायेगा। अधिष्ठापन कार्य को सत्यापन कर अंकक्षण दल के समक्ष उपलब्ध कराया गया। बैट्री का वारंटी कार्ड अंकेक्षण दल के समक्ष उपलब्ध कराया गया। सोलर प्लेट के मोडल नं0 और सिरियल नं0 के आधार पर ऑनलाइन वारंटी दिया जाता है। जो प्रस्तुत किया गया है। टी0डी0एस0 एवं वैट को संबंधित दुकानदार से जमा की गई राशि का चालान मांग कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जायेगा।

110

कंडिका सं0:— 10

सोलर लाईट के क्रय में अनियमितताएँ एवं अधिक भुगतान रू0 952460

सोलर लाइट के अभिलेखों के अवलोकन से मामला प्रकाश में आया कि सोलर लाइट का क्रय स्टाम्प डयूटी के मद से किया गया। वित्तीय वर्ष 2011—12 से 2013—14 तक जैन ऑटोमोबाईल गया एवं दुदवा पावर इण्डस्ट्रिज गया से किया गया। सोलर लाइट के क्रय एवं भुगतान से संबंधित सूचनाएँ संलग्न है। (विवरणी सं0 IV)

अंकेक्षण टिप्पणी:—

- उपरोक्त किसी भी विक्रेता से एकरारनामा नहीं किया गया।
- सोलर लाइट के अधिष्ठापन के बाद फोटोग्राफी नहीं करायी गयी।
- अधिष्ठापन प्रमाणपत्र सक्षम प्राधिकारी से नहीं करायी गयी। अन्तिम उपभोक्ता द्वारा अधिष्ठापन प्रमाणपत्र नहीं दिया गया।
- ब्रेडा के पत्रांक BREDA/spv/4/09-10/08.12.10 (Rs.28240/- Incuding all Taxes) and BREDA/spv/13/0/09.01.12 (Rs.28100/- Incuding all Taxes) जिसका Specification 01 Solar Panel 75 Watt.CFL 11 Watt Battery -12V, 75 AH, Pole – 4.5 meters है। ब्रेडा के मानदंड का स्पष्ट उल्लंघन है।
- 103 सोलर लाइट संबंधित विक्रेताओं से खरीदे गये जिसमें कुल खर्च 3861180 रू0 किया गया। ब्रेडा के मानदंड से क्रय करने पर अधिक से अधिक 2908720 रू0(Rs.28240×103) का खर्च आता। इस प्रकार नगर पंचायत को कुल 952460 रू0 की हानि हुई।

जवाब में बताया गया है कि सोलर प्लेट 120 वाट 130 वाट 135 वाट, बैट्री 100AH , दो स्ट्रीट लाईट 11 वाट की खरीदारी समय—समय पर की गई है। जिसकी विवरणी अगले अंकेक्षण दल को दिखाया जायेगा।

इस प्रकार कुल 952460 रू0 की हानि को संबंधित जिम्मेवार व्यक्ति से वसूली कर अगले अंकेक्षण को दिखाया जाय।

कंडिका सं0:—11

सैरातों की बन्दोबस्ती

सैरातों के अभिलेखों के अवलोकन से मामला प्रकाश में आया कि वित्तीय वर्ष 2011—12 से 2013—14 तक कुछ सैरातों के बन्दोबस्ती के अन्तिम तिथि के बाद भी कुछ लोगों के द्वारा शेष अवधि के लिए आवेदन दिया गया। जिसका विवरणी निम्न है:—

(१०)

क्र0 सं0	बन्दोवस्ती का नार्म	वित्तीय वर्ष	बन्दोबस्तीधारी का नार्म	बन्दोबस्ती का मूल्य रू0 मे	मुद्रांक शुल्क रू0 में	अभ्युक्ति
01	मु0 रानीगंज ट्रेचिंग ग्राउण्ड	2011-12 2012-13 2013-14	श्री दीपक कु0 श्री दीपक कु0	7150 7865 में से 7000 रू0 जमा किया गया	215 234	श्री दीपक कु0 जुलाई 2011–मार्च 2012 तक सुरक्षित जमा 7150 रू0 के लिए तैयार एवं आवेदन दिया तथैव
02	नगरपंचायत जमीन पर अवस्थित ताड. खजूर	2011-12 2012-13 2013-14				श्री गणेश चौधरी अक्टूबर 2013–मार्च 2014 तक सुरक्षित जमा 1168 रू0 के लिए तैयार एवं आवेदन दिया
03	मु0 बहेलिया विगहा ट्रेचिंग ग्राउण्ड की बन्दोबस्ती	2011-12 2012-13 2013-14	श्री राम यादव	3000	90 जमा नहीं	
04	कानीहाउस की बन्दोबस्ती	2011-12 2012-13 2013-14	श्री राम यादव	15000	450 जमा नहीं 246 जमा नहीं	
05	नगरपंचायत कार्यालय परिसर में तालाब मछली पकडने हेतु	2011-12 2012-13 2013-14	श्री कुन्दन कु0 श्री कुन्दन कु0 गुप्ता श्री कुनाल कनिष्क	7300 8200 15500	219 जमा नहीं 246 जमा नहीं 465 जमा नहीं	
06	निजी बस स्टैण्ड पर निजी वाहनों से चुंगी वसूली हेतु	2011-12 2012-13 2013-14	श्री नगेन्द्र सिंह श्री पंकज कु0 श्री ज्योतिष कु0	1001300 1106000 1702000	30040 33200 51060 जमा नहीं	
					53234 जमा नहीं	

अंकेक्षण टिप्पणी

- सैरातों के बन्दोबस्ती करने के लिए जमा की गई राशि एवं इसके मुद्रांक शुल्क वसूली से अंकेक्षण को अवगत कराया जाय।
- उपरोक्त विवरणी में व्यक्ति के द्वारा दिया गया आवेदन में यदि की गई बन्दोबस्ती के बारें में राशि एवं मुद्रांक शुल्क जमा हुआ अथवा नही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाय।
- सैरातों के बन्दोबस्ती करने के लिए विज्ञापन किया अथवा नही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाय। जैसा की अभिलेख में उपलब्ध नहीं था।
- प्रत्येक वित्तीय वर्ष जिसकी बन्दोबस्ती नही हुई उस कारण से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाय।
- शेष अवधि के बन्दोबस्ती किए जाने के पूर्व विभागीय वसूली एवं कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाय।
- जिन्होने सैरात लेने के लिए आवेदन दिया था उसके उपर क्या किया गया से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाय।

जवाब में बताया गया है कि सैरात की बंदोवर्स्ती की राशि का मुद्रांक शुल्क के लिये 3 प्रतिशत की शुल्क के लिए संबंधित को नोटिस देकर जमा कराया जायेगा तथा अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जायेगा।

मुद्रांक शुल्क रू0 53234/- की वसूली कर अगले अंकेक्षण को दिखाया जाय।

TAN

कंडिका सं0–1

कटौती की गई कर का संबंधित विभाग में जमा नहीं

नगर पंचायत टेकारी के वित्तीय वर्ष 2011–12 से 2013–14 के भाउचरों के अंकेक्षण के नमुना जांच के क्रम में पाया गया ऐसे कई बिलों के वैट/रॉयल्टी/आय कर/श्रम कर और अन्य कर काट कर बिल का भुगतान किया गया था। पर इसका पंजी का संधारण नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि कटौती की गई कर संबंधित विभाग में जमा किया गया है अथवा नही।

आपत्ति के जवाब में यह बताया गया कि रॉयल्टी, वैट, आयकर एवं श्रमकर की पंजी संधारण कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जायेगा।

कंडिका सं0–2

अनुदान

लेखापरीक्षा में अनुदान पंजी उपलब्ध कराया गया था, परंतु वह पूर्ण रुप से संधारित बही था। लेखापरीक्षा में उपलब्ध सामान्य रोकड़बही के नमूना जॉच के अंतर्गत 2011–12 से 2013–14 में प्राप्त अनुदान की विवरणी तैयार की गई (विवरणी संलग्न V)

लेखापरीक्षा अभियुक्ति

1. अनुदान पंजी में व्यय की विवरणी नहीं दर्शाया गया था जिससे अव्यवहृत शेष की राशि नहीं तैयार किया गया था।
2. अनुदान पंजी को सत्यापित नही किया गया था।
3. अनुदान पंजी में मदवार प्राप्ति तथा व्यय दर्शाना था, परंतु अनुदान पंजी में ऐसा नहीं पाया गया। आपत्ति के जवाब में यह बताया गया कि अनुदान पंजी पूर्ण रूप से संधारण कर लिया जायेगा। तथा सत्यापित कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जायेगा।

कंडिका सं0–3

मोबाईल टावर

लेखापरीक्षा में उपलब्ध मोबाईल टावर संचिका के नमूना जॉच में पाया गया कि कार्यालय के पत्रांक 345,346,347,348,349,350,351 दिनांक 14.09.12 के अनुसार निकाय द्वारा विभिन्न कंपनी को बकाया राशि की वसूली के लिए नोटिस किया गया था, परंतु कितने टावर अपंजीकृत एवं पंजीकृत है। इसका विवरण नही पाया गया था।

लेखापरीक्षा अभियुक्तिः–

1. संचिका के अनुसार कंपनी को नोटिस दिया गया था, परंतु कंपनी निकाय में कब से अधिष्ठापित है। इसका वर्णन नही पाया गया।
2. वर्त्तमान में कितने टावर पंजीकृत एवं कितने टावर अपंजीकृत है। इसकी सूची बतावें।
3. यदि मोबाईल कंपनी टावर पंजीकृत है, तो उन कंपनी के पास अभी कितना बकाया है।

आपत्ति के जवाब में यह बताया गया कि मोबाइल टावर संचिका का पुनः अवलोकन तथा सर्वे कराकर स्थिति स्पष्ट होने के उपरान्त संचिका का संधारण किया जायेगा। तथा संबंधित मोबाइल कंपनी को बकाया राशि मॉग हेतु सूचना निर्गत किया जायेगा।

–हस्ता0–
(राजेश कुमार)
स0ले0प0अ0
अनुमोदित
उपमहालेखाकार
––सह––
स्थानीय लेखापरीक्षक
बिहार, पटना

106

सं0–एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 **दिनांक**

नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत टिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही करने हेतू प्रेषित किया जाता है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित करवाया जाय जिससे लेखा परीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध कराये गये सूचनाओं / विवरणी के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, पटना का कार्यालय लेखापरीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

– ह0 –
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सोशल सेक्टर –1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0 / 14475 / 2199 **दिनांक** 30.01.15

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, गया

30/01/15
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

नगर पंचायत टेकारी (गया) लेखा वर्ष 2011-12 से 2013-14 (10)

परिशिष्ट - I

कंडिका सं. 3 .. में संदर्भित

प्रस्तुत अभिलेख जिसकी नमूना जाँच अंकेक्षण में किया गया।

1. सामान्य रोकड़ बही
2. सहायक रोकड़ बही
3. बजट (11-12 एवं 12-13)
4. बैंक स्टेटमेंट / पास बुक
5. पौन्डिंग स्लीप / विविध स्लीप
6. भंडार पंजी
7. बंदोबस्ती संचिका
8. मोबाईल टावर संचिका
9. स्वीकृत एवं कार्यरत बल विवरणी
10. दैनिक संग्रहण पंजी
11. SJSRY संचिका
12. क्रय संचिका (आंशिक)

(हस्ताक्षर) AA

नगर पंचायत टेकारी (गया)

लेखावर्ष 2011-12 से 2013-14

परिशिष्ट - II

कंडिका सं० 3 में संदर्भित

अप्रस्तुत अभिलेख जिसकी नमूना जाँच नहीं किया गया।

1. माँग वसूली पंजी
2. म्यूटेशन पंजी
3. अपील पंजी
4. अभिश्रव
5. योजना पंजी, योजना अभिलेख
6. भवन निर्माण / विनिर्माण एवं लाइसेंस पंजी
7. कर प्राप्ति निर्गत पंजी
8. छूटत माँग पंजी
9. वारंट पंजी
10. ऑफनसिव / इंजरस लाइसेंस पंजी
11. विविध माँग पंजी
12. प्रॉपर्टी रजिस्टर
13. इन्डोर्समेंट रजिस्टर
14. विविध विवरणी
15. सरकारी अनुदान पंजी
16. निवेश पंजी
17. टूल एवं प्लांट्स रजिस्टर
18. जमा पंजी
19. संवेदक लेजर
20. दर सूची
21. कार्य पंजी
22. आपल एकाउंट
23. बीक लेखा / लेजर

AK

विवरणी सं० (II)
(कंडिका सं० 14 में संदर्भित)

आय–व्यय विवरणी

राशन कार्ड	प्रा0 शेष	प्राप्ति	जोड.	व्यय	अन्तशेष
2011–2012	1756.50	0	1756.50	0	1756.50
2012–2013	1756.50	0	1756.50	0	1756.50
2013–2014	1756.50	0	1756.50	0	1756.50
चपाकल	प्रा0 शेष	प्राप्ति	जोड.	व्यय	अन्तशेष
2011–2012	398034	0	398034	55256	342778
2012–2013	342778	0	342778	95701	247077
2013–2014	247077	0	247077	19052	228025
अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का भता	प्रा0 शेष	प्राप्ति	जोड.	व्यय	अन्तशेष
2011–2012	21920	65400	87320	21300	66020
2012–2013	66020	65400	131420	59900	71520
2013–2014	71520	65400	136920	66471	70449
नगर प्रबंधक	प्रा0 शेष	प्राप्ति	जोड.	व्यय	अन्तशेष
2011–2012	14839	104000 (140000)	154839	100000	54839
2012–2013	54839	0	54839	40000	14839
2013–2014	14839	0	14839	0	14839
मैचिंग ग्रान्ट	प्रा0 शेष	प्राप्ति	जोड.	व्यय	अन्तशेष
2011–2012	2444430	141490	2585920	2585920	0
2012–2013	0	0	0	0	0
2013–2014	0	0	0	0	0
13 th वित	प्रा0 शेष	प्राप्ति	जोड.	व्यय	अन्तशेष
2011–2012	700000	824000 (2360957)	3060957	1850240	1210717
2012–2013	1210717	1705000	2915717	346308	2569409
2013–2014	2569409	2228988 (1148197)	8798397 (3717606)	235768	2440829 (3481838)
बी0आर0 जी0एफ0	प्रा0 शेष	प्राप्ति	जोड.	व्यय	अन्तशेष
2011–2012	936265	1404316	2340581	846633	1493948
2012–2013	1493948	0	0	1229033	264915
2013–2014	264915	482957	747872	614094	133778
प्रशासनिक भवन	प्रा0 शेष	प्राप्ति	जोड.	व्यय	अन्तशेष
2011–2012	2081831	0	2081831	391394	1690437
2012–2013	1690437	1618875	3309312	1068588	2240724
2013–2014	2240724	0	2240724	902854	1337870

1102

कबीर अन्त्येष्ठी	प्रा0 शेष	प्राप्ति	जोड.	व्यय	अन्तशेष
2011–2012	0	82500	82500	0	82500
2012–2013	82500	253500	336000	27000	309000
2013–2014	309000	0	309000	18000	291000
एस0जे0एस0आर0वाई0	प्रा0 शेष	प्राप्ति	जोड.	व्यय	अन्तशेष
2011–2012	210036.95	0	210036.95	0	210036.95
2012–2013	210036.95	3000000	3210036.95	371523	2838513.95
2013–2014	2838513.95	0	2838513.95	464128	2374385.95
सामान्य रोकड बही	प्रा0 शेष	प्राप्ति	जोड.	व्यय	अन्तशेष
2011–2012	15257615	16677307	31934922	18893914	13041008
2012–2013	13041008	24708630	37749638	15294304	22455334
2013–2014	22455334	30188304	52643638	19811350	32832288

बैंक का नाम	31.03.14 का अन्तशेष पास बुक के अनुसार	खाता सं0
एस0 बी0आइ0 रेवेन्यू	444004	32706517941
पी0 एन0 बी0	5553190.75	3851000100011206
म0 बी0 ग्रा0 बै0	134499 20.09.09	73
एस0 बी0आइ0 सामान्य	565797.50	30679226387

रणजीत कुमार
AAO (P)

विवरणी सं० (3) (III)
कंडिका सं० 22 से संबंधित

सोलर लाईट के भुगतान से संबंधित सूचनाऍ की विवरणी

निधि	क्रय सोलर लाइट की सं0	फर्म का नाम	क्रय का कुल मुल्य रू0	कटौती नहीं की गई राशि रू0 मे		माउचर सं0/दिनांक/कुल भुगतान राशि रू0 में/चेक सं0/ दिनांक	अभ्युक्ति
				वैट 5 प्रतिशत	टी0डी0एस0 2 प्रतिशत		
स्टाम्प डयूटी	30	जैन अटैमोबाईल गया	1080000 रू0 **36000 रू0 की दर से**	54000	21600	151/15.09.11/540000 रू0/415931/16.09.11एवं 101/04.08.11/540000 रू0/415928/04.08.11	
स्टाम्प डयूटी	30	दुदवा पावर इण्डस्टिज गया	1167000 रू0 **38900 रू0 की दर से**	58350	23340	22/27.04.12/583500 रू0 007100/ 27.04.12 एवं 351/23.03.12/583500 रू0 415943/23.03.12	
स्टाम्प डयूटी	28	दुदवा पावर इण्डस्टिज गया	1030680 रू0 **40900 रू0 की दर से**	51534	20614	22/06.05.13/458080 रू0/324226/06.05.13 एवं 214/04.01.13/572600 रू0/415961	
स्टाम्प डयूटी	15	दुदवा पावर इण्डस्टिज गया	583500 रू0 **38900 रू0 की दर से**	29175	11670	219/31.10.11/583500 रू0/415936/15.11.11	
			कुलः—	134709/—	77224/—		

193059

रणजीत कुमार
AAO (D)

सामान्य रोकड बही	प्रा0 शेष	प्राप्ति	जोड.	व्यय	अन्तशेष
2011–2012	15257615	16677307	31934922	18893914	13041008
2012–2013	13041008	24708630	37749638	15294304	22455334
2013–2014	22455334	30188304	52643638	19811350	32832288

बैंक का नाम	31.03.14 का अन्तशेष पास बुक के अनुसार	खाता सं0
एस0 बी0आइ0 रेवेन्यू	444004	32706517941
पी0 एन0 बी0	5553190.75	3851000100011206
म0 बी0 ग्रा0 बै0	134499 20.09.09	73
एस0 बी0आइ0 सामान्य	565797.50	30679226387

(विवरणी सं० -IV)

(कंडिका सं० 23)

118

क्रय सोलर लाइट की सं0	फर्म का नाम	क्रय का कुल मुल्य रू0 में	सोलर लाइट का **SPECIFICATION**	भाउचर सं0/दिनांक/कुल भुगतान राशि रू0 में/चेक सं0/ दिनांक	अभ्युक्ति
30	जैन अटैमोबाईल गया	1080000 रू0 **36000** रू0 की दर से	01 Maharishi Solar 120 Watt 01 Exide 6LMS 100 AH Battery 02 (11Watt) Luminary 01 Pole with Box & mounting Strucure Installation Charge etc.	**151/15.09.11/540000 रू0/415931 /16.09.11एवं** **101/04.08.11/540000 रू0/415928/04.08.11**	
30	दुदवा पावर इण्डस्टिज गया	1167000 रू0 **38900 रू0 की दर से**	01 Solar PV Module 130 Watt,Make Sun Energy 02 Street Light Luminary 11 Watt,Make Omega 01Battery 100 AH,Make Exide 01 GIPole with Batt.Box,Module Structure ,Cables, Installation Charge etc.	**22/27.04.12/583500 रू0** **007100/ 27.04.12 एवं** **351/23.03.12/583500 रू0** **415943/23.03.12**	
15	दुदवा पावर इण्डस्टिज गया	583500 रू0 **38900 रू0 की दर से**	**तथैव**	**219/31.10.11/583500 रू0/415936/15.11.11**	
28	दुदवा पावर इण्डस्टिज गया	1030680 रू0 **40900 रू0 की दर से**	01 Solar PV Module 135 Watt,Make Sun Energy 02 Street Light Luminary 11 Watt,Make Omega 01Battery 100 AH,Make Exide 01 GIPole with Batt.Box,Module Structure ,Cables Installation Charge etc.	**22/06.05.13/458080 रू0/324226/** **06.05.13 एवं** **214/04.01.13/572600 रू0/415961**	
कुलः—3861180 रू0					

<u>सोलर लाईट के खरीद से संबंधित सूचनाएँ की विवरणी</u>

रणजीत कुमार.
AAO (I)